"किसी भी विकास के एजेंडे और लोगों के समर्थन के बिना, कांग्रेस गुजरात और गुजरातियों को गाली देने पर उतारू है।' —— ब्रजेश भाई पटेल, मुख्यमंत्री, गुजरात

यह सुनकर बहुत दुख हुआ है कि इतने वरिष्ठ नेता, कांग्रेस में दशकों तक सक्रिय एवं अहम पद पर रहे खड़गे के हाथ से कांग्रेस के नेता चाय नहीं पीते हैं। — संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

जैन आध्यात्मिक विज्ञान पर विश्व सम्मेलन

नई दिल्ली (एसएनबी)। जैन डॉक्टर फोरम और एनिमल वैलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं ज्ञानसागर साइंस फाऊंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में दिल्ली में 3 व 4 दिसंबर को एक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

समिति के अध्यक्ष डा. डीसी जैन ने बताया कि दो दिवसीय सम्मेलन में देश-विदेश के अनेक ख्याति प्राप्त डॉक्टर एवं वैज्ञानिक अपने शोधपत्र एवं विचार प्रस्तुत करेंगे। डा. जैन ने कहा कि अध्यात्म अक्सर बदलती परिभाषाओं और समझ के साथ एक भ्रमित अवधारणा है। इस अवधारणा ने विशेष रूप से आधुनिक वैज्ञानिकों और युवा जिज्ञासु दिमागों को हैरान कर दिया है। प्रसिद्ध संतों, चिकित्सा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, परोपकारी, धार्मिक नेताओं आदि सहित विद्वानों की एक आकाशगंगा आध्यात्मिकता की अपनी अवधारणा पर अपना व्याख्यान देंगे।

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

kotak

पंजीकृत कार्यालय : 27, बीकेसी, सी–27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051 शाखा कार्यालय : 1/11, प्रथम तल, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली –110 008 कॉर्पोरेट पहचान संख्या – L65110MH1985PLCO38137

अचल सम्पत्ति की ई–नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित नियम 9 (1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतदद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार (रों), गारंटर (रों) और/या बंधकदाता (ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ("प्रतिभूत लेनदार") को बंधक/प्रभारित की गई है, जिसका भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **19–05–2022** को लिया जा चुका है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार, की कर्जदार/रों नामतः **(1) मैसर्स आरसीसी इन्फ्रावेंचर्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय पता – 14 भू तल, विपुल अगोरा, एमजी रोड, सेक्टर–28, गुरुग्राम, हरियाणा–122001, ("कर्जदार") और (2) श्री रवि कुमार जैन, (3) श्री लव जैन, (4) सुश्री नीरू जैन तथा (5) मैसर्स सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर/कार्पोरेट गारंटर/बंधकदाता) की तरफ 20–07–2020** तक बकाया **रु. 16,44,04,658.32/– (रूपए सोलह करोड़ चौवालीस लाख चार हजार छह सौ अठ्ठावन तथा पैसे बत्तीस मात्र)** भुगतान/वसूली तक आगे चक्रवृद्धि आधार पर संविदात्मक दर पर ब्याज और अन्य प्रभारों की वसूली के लिए दिनांक **15 दिसम्बर, 2022** को ई–नीलामी के माध्यम से **"जैसा है जहां है आधार", "जो है जैसा है आधार"** और **"जो कुछ भी है वहां है आधार"** पर बेची जाएगी।

क्र. सं.	बंधकदाता/ओं का नाम	ई–नीलामी हेतु प्रस्तुत अचल/चल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण	ऑनलाइन बिड जमा करने की अंतिम तिथि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित मूल्य (आईएनआर)/ धरोहर राशि जमा
1	**मैसर्स सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड**	गैर–कृषि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति फ्रीहोल्ड आवासीय निर्मित परिसर/भवन बेसमेंट (परिमाप 1169 वर्ग फीट) ; प्रथम तल (परिमाप 1400 वर्ग फीट) ; द्वितीय तल (परिमाप 1400 वर्ग फीट) ; तृतीय तल (परिमाप 1400 वर्ग फीट) ; छत के अधिकारों के साथ, प्लॉट नंबर 12 परिमाप 222.5 वर्ग गज के अविभाजित 4/5 हिस्सा सहित, जो बसई दारापुर, दिल्ली आबादी अशोक (असोक) पार्क के नाम से मशहूर, मेन रोहतक रोड, निकट मनोहर पार्क, दिल्ली में स्थित है, उसके ऊपर विद्यमान सभी भवनों और स्ट्रक्चर्स तथा संबंधित बंधक की तिथि से/के बाद उत्थापित किए जाने वाले स्ट्रक्चर्स और उसकी सभी संवृद्धियों तथा सभी फिक्सचर्स एवं फर्नीचर्स और जमीन पर स्थापित या जमीन से स्थायी रूप से संबद्ध किसी चीज के साथ जुड़े सभी प्लाण्ट और मशीनरी, वर्तमान और भावी दोनों, जो **मैसर्स सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** द्वारा स्वाधिकृत है और जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार है –– उत्तर : रोड, दक्षिण : रोड, पूरब : प्लॉट नंबर 11, पश्चिम : रोड जमीन पर स्थापित या जमीन से स्थायी रूप से संबद्ध किसी चीज के साथ जुड़े सभी स्ट्रक्चर्स और मशीनरी, यदि कोई, और उसके सभी उपभोगाधिकार/मामूल अधिकारों के साथ।	14–12–2022 को अथवा पूर्व अप. 04.00 बजे तक	15–12–2022 को पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक, 05 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ	**रु. 7,65,11,000/–** (रूपए सात करोड़ पैंसठ लाख ग्यारह हजार मात्र) **रु. 76,51,100/–** (रूपए छहत्तर लाख इक्यावन हजार एक सौ मात्र)

अधोहस्ताक्षरी अपने पूर्ण विवेक पर और संभावित खरीदारों के पूर्व अनुरोध पर, उक्त सम्पत्ति के निरीक्षण की व्यवस्था, अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से 07 दिसम्बर, 2022 को अपराह्न 03.00 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक के बीच कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :

1. ई–नीलामी केवल "ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से 15 दिसम्बर 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक के बीच, 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के असीमित विस्तार के साथ, आयोजित की जाएगी।
2. ई–नीलामी के बारे में विवरण के लिए इच्छुक बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 68, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा से सम्पर्क कर सकते हैं, सम्पर्क व्यक्ति **श्री विनोद चौहान– 98138–87931, ईमेल :** delhi@clindia.com vkSj support@bankeauctions.com. **हेल्पलाइन नंबर**, 91–124 4302020/2021/2022/2023/2024. **सपोर्ट मोबाइल नंबर +** 91–7291981124/25/26.
3. इच्छुक बोलीदाता नीलामी विवरण और बिक्री के नियम और शर्तों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट–https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html और/या https://auctions.kotak.com पर जा सकते हैं।
4. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, बोलीदाताओं को पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर जाने की सलाह दी जाती है और बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के लिए उक्त नियम और शर्तें बाध्यकारी होंगी।
5. यह अनुरोध किया जाता है कि इच्छुक बोलीदाताओं को बोली और अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पहले पोर्टल https://www.bankeauctions.com से लॉगइन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना आवश्यक है।
6. बोली प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र में भरा जाना है और केवल बोलीदाता के केवाईसी दस्तावेजों के साथ पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर **14 दिसम्बर, 2022 तक या उससे पहले 4.00 अपराह्न** तक ऑनलाइन अपलोड किया जाना है, और विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित बोली दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां और बोलीदाताओं के केवाईसी dipanshu.singh@kotak.com और vikram.sharma@kotak.com पर मेल द्वारा भेजे जाने चाहिए। बोलीदाता को ईमेल का विषय **"मैसर्स आरसीसी इन्फ्रावेंचर्स लिमिटेड** के खाते में संपत्ति के क्रय हेतु" लिखना चाहिए।
7. संभावित बोलीदाता, मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लॉगइन आईडी और पासवर्ड बनाने और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया आदि के लिए ऑनलाइन ? प्रशिक्षण उपरोक्त नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं।
8. धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण के माध्यम से खाता संख्या 06410125272001, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड : KKBK0000958, 14 दिसम्बर, 2022 को या उससे पहले शाम 04.00 बजे तक जमा करनी होगी। आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण केवल इच्छुक बोलीदाताओं के खातों से ही किया जाएगा। किसी तकनीकी गड़बडी के कारण ईएमडी और मैं जमा करने में या निर्धारित समय सीमा के भीतर बोली दस्तावेज जमा करने में देरी के मामले में, अधिकृत अधिकारी, अधिकतम बोली भागीदारी और परस्पर बोली प्रक्रिया, अपने विवेकाधिकार पर और उसकी संतुष्टि पर, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकटीकरण दिए बिना निर्धारित कटऑफ समय के बाद प्राप्त बोली को स्वीकार कर सकते हैं। ईएमडी राशि जमा किए बिना जमा की गई कोई भी बोली स्वतः निरस्त मानी जाएगी। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नही मिलेगा।
9. प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य सुरक्षित मूल्य के बराबर और/या उससे अधिक होगी और बोली प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को अपनी बोली **रुपये 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र)** के गुणकों में बढ़ानी होगी।
10. यदि कोई बोली ई–नीलामी कार्यवाही के समापन समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर रखी जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से और तुरंत 5 मिनट तक बढ़ा दिया जाएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है।
11. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली राशि का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही बंद होने पर या ई–नीलामी के दिन व्यावसायिक घंटे बंद होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर ऊपर निर्धारित मोड में जमा करना होगा। उच्चतम बोली राशि का शेष 75% उस तारीख से 15 दिनों, जिस दिन ऐसे सफल बोलीदाता को बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि की जाती है या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा, जो अधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर और सरफेसी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के भीतर होगी। कृपया ध्यान दें कि बिक्री प्रतिफल के भुगतान के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और सफल नीलामी खरीदार को घटना में दैवीय आपदा के आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नही होगा, यदि वह किसी भी कारण से निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है।
12. उच्चतम बोली लगाने वाले का संपत्ति पर तब तक कोई अधिकार और हक नहीं होगा जब तक कि उसके पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी नही किया जाता है, जो संपूर्ण नीलामी मूल्य और अन्य आकस्मिक खर्चों की वसूली के अधीन है। बिक्री ई–नीलामी के नियमों और शर्तों के अधीन होगी और उस प्रभाव के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जाएगी।
13. यदि सफल बोलीदाता पूरी बोली/नीलामी राशि जमा करने में विफल रहता है, तो सफल बोलीदाता द्वारा पहले ही जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता का न तो संपत्ति पर और न ही जमा की गई राशि पर दावा होगा। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में सरफासी ऐक्ट, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उसे उपलब्ध किसी एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
14. उपरोक्त वर्णित निर्धारित अवधि के भीतर संपूर्ण बिक्री प्रतिफल प्राप्त होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेगा, उसके बाद बिक्री पूरी हो जाएगी, और उसके बाद **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
15. बिक्री प्रमाण पत्र उसी नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई है। बोली में उल्लिखित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के नामों के बिक्री प्रमाण पत्र में शामिल/प्रतिस्थापन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
16. असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि, **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** द्वारा उनके खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से, 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर और बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
17. अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या अधिसूचित ई–नीलामी बिक्री को स्थगित / रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। बोली जमा करने के बाद ई–नीलामी बिक्री के स्थगित/रद्द करने की स्थिति में, बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी और यदि बोलियां खारिज कर दी जाती हैं, तो अधिकृत अधिकारी, निजी संधि द्वारा संपत्ति की बिक्री के लिए, किसी भी बोलीदाता या अन्य पार्टियों के साथ बातचीत कर सकता है।
18. यदि बोली लगाने वाले को ई–नीलामी बिक्री में सफल बोलीदाता घोषित किया जाता है और उसके बाद, यदि नीलामी की कार्यवाही किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा, बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने और कब्जा सौंपने तक किसी भी स्तर पर रोक दी जाती है, जिसमें बैंक को आगे की कार्यवाही से रोकना शामिल है, तो बोलीदाता के पास उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी/राशि या संपत्ति की बिक्री के लिए जमा की गई राशि पर किसी भी ब्याज की वापसी का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। बैंक अपने विवेकाधिकार पर बिना किसी ब्याज और/या हर्जाने और/या दावों के जमा की गई धनराशि वापस कर देगा और किसी भी प्रकार के संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
19. ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन अधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
20. संभावित बोलीदाताओं को एतद्द्वारा सूचना/चेतावनी दी जाती है कि बैंक को माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण–1, दिल्ली के समक्ष सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड शीर्षक के प्रतिभूतिकरण आवेदन (एस.ए.) सं. 213/2022 के अतिरिक्त किसी ऋणभार की जानकारी नहीं है, जो न्याय निर्णयन हेतु लम्बित है तथा सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड शीर्षक एक अपील नंर 113/2022 ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली में प्रस्तुत की गई है, तथा वह भी न्याय निर्णयन हेतु लम्बित है। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय प्राधिकरण की बकाया राशि अर्थात नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और हस्तांतरण शुल्क/प्रभार सहित किसी भी अन्य बकाया या करों के संबंध में स्वतंत्र जांच करें। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार या किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नही होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करें।
21. पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/अन्य देय राशि क्रेता को वहन करनी होगी।
22. वर्तमान नोटिस के तहत नीलामी–सह–बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध में सभी आउटगोइंग शुल्क यानी नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और किसी भी अन्य बकाया या करों का भुगतान नीलामी खरीददार द्वारा ही किया जाएगा।
23. अन्य सभी आकस्मिक शुल्क (वर्तमान नीलामी के तहत संपत्ति के संरक्षण के लिए सुरक्षा शुल्क या रखरखाव शुल्क सहित लेकिन सीमित नहीं) बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा वहन किया जाएगा, जिसे बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण से पहले बैंक को अदा/प्रतिपूर्ति करनी होगी। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर, भविष्य के लिए कोई मिसाल कायम किए बिना, किसी भी न्यायोचित और तर्कसंगत देरी को छूट के लिए माना जाएगा।
24. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–ए के अनुसार, यदि बिक्री प्रतिफल **रु. 50,00,000.00 (पचास लाख रुपये मात्र)** और उससे अधिक है, तो बिक्री से प्राप्त राशि पर टीडीएस लागू होगा। सफल बोलीदाता/खरीदार बिक्री मूल्य से सतलज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पैन नंबर– AAJCS2042Q के नाम में टीडीएस (1%) काटकर उसे आयकर विभाग के पास जमा करेगा। इसके अलावा, बिक्री मूल्य का केवल 99% बैंक को प्रेषित किया जाना है। सफल बोलीदाता/क्रेता के पक्ष में बैंक द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र केवल फॉर्म 16बी, फॉर्म 26क्यूबी और ऐसे टीडीएस की जमा राशि के चालान के प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा।
25. ई–नीलामी **"जैसा है जहां है आधार", "जो है जैसा है आधार" ,"जो कुछ भी है वहां है आधार"** और **"कोई उपाय नहीं आधार"** यहाँ उल्लिखित नियमों और शर्तों के आधार पर आयोजित की जाएगी, हालांकि प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी नियम और शर्तों को बदलने/परिवर्तित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले संपत्ति की प्रकृति और विवरण, स्थिति, किसी भी भार, ग्रहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक बकाया आदि के बारे में किसी भी भार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करें, उप–पंजीयक कार्यालय और राजस्व रिकॉर्ड/नगरपालिका रिकॉर्ड और संबंधित संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रशासनिक सरकारी रिकॉर्ड में खोजें और खुद को संतुष्ट करें। कृपया ध्यान दें कि बैंक/अधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार नीलामी के तहत संपत्ति/संपत्तियों/संपत्तियों की फिटनेस/शीर्षक के संबंध में किसी भी तरह से गारंटी या कोई प्रतिनिधित्व नही करता है। बिक्री/नीलामी पूर्णतया बिना किसी सहारा के आधार पर होगी।
26. यदि सभी लागतों के साथ बैंक की देय राशि, उनके द्वारा या उसके द्वारा किए गए खर्च, जो बैंक को स्वीकार्य हो सकते हैं, कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता/ओं की ओर से बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय अदा किए जाते हैं, तो नीलामी के लिए प्रस्तुत संपत्ति की बिक्री रद्द की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि स्वीकार्य नही पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित /रद्द /स्थगित /बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
27. प्रतिभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि बैंक या उसकी ओर से किए गए सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों के साथ बैंक की धरोहर राशि या सुरक्षित मूल्य से अधिक राशि या इंटर–से बिडिंग के बाद उच्चतम बोली मूल्य से अधिक राशि, जैसा कि बैंक को स्वीकार्य हो सकता है, ऋणी/गारंटर/बंधक की ओर से/की ओर से, उनके द्वारा पहचाने गए एजेंटों/खरीदारों/निवेशकों के माध्यम से भी नीलामी के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय, बिक्री या नीलामी की उसी तारीख को या बोली की औपचारिकताओं के पूरा होने से पहले/बाद में उच्चतम बोली लगाने वाले की घोषणा सहित और बिक्री पुष्टि पत्र जारी करने के बाद भी लेकिन सफल बोली लगाने वाले को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, बैंक को प्रदान कर दी जाती है/प्रदान करने का वचन दिया जाता है, तो संपत्ति की नीलामी/बिक्री प्राधिकृत अधिकारी के पूर्ण विवेक पर और बिना कोई कारण बताए रद्द की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी/सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि स्वीकार्य नही पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद कर या बदल सकता है और इस संबंध में उनका निर्णय होगा अंतिम होगा। बोलीदाता और/या सफल–बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रति–प्रस्ताव/सशर्त प्रस्ताव/शर्तों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह माना जाएगा कि बोलीदाताओं ने बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।
28. बोलीदाताओं को बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा और वे उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।
29. बोलीदाताओं को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी ; पावर बैक अप आदि, सुनिश्चित करनी चाहिए। इंटरनेट की विफलता, बिजली की विफलता, या तकनीकी कारणों या ई–नीलामी कार्यवाही को प्रभावित करने वाले कारणों/आकस्मिकताओं के कारण किसी भी व्यवधान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
30. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड या उसके कर्मचारी बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में किसी भी व्यक्ति के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
31. वर्तमान नोटिस को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.kotak.com पर भी अपलोड किया गया है और इच्छुक पक्ष इसे देख भी सकते हैं।
32. यदि अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति है, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा।
33. अधिक जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी **श्री विक्रम शर्मा (मोबाइल नंबर +91–9654214923) या बैंक के अधिकारी श्री दीपांशु सिंह (मोबाइल नंबर +91–9953965199) से संपर्क करें।**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) और 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को एतद्द्वारा निम्नलिखित में देयता का निर्वहन करने के लिए अधिसूचित किया जाता है इस नोटिस की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और खर्चों के साथ ऊपर वर्णित बकाया राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर "प्रतिभूत संपत्ति" (उपरोक्त वर्णित) ऊपर वर्णित नियमों और शर्तों के अनुसार बेची जाएगी।

स्थान: दिल्ली,
तिथि : 28–11–2022

प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

दिल्ली मेट्रो : तकनीकी खराबी से 'ब्लू लाइन' पर सेवा प्रभावित

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली मेट्रो की 'ब्लू लाइन' पर मंगलवार को कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण मेट्रो सेवा एक घंटे से अधिक समय तक प्रभावित रही। सूत्रों ने यह जानकारी दी। ब्लू लाइन दिल्ली में द्वारका सेक्टर-21 और नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी को जोड़ती है। यह इसी लाइन पर यमुना बैंक स्टेशन से निकली अलग लाइन के जरिए गाजियाबाद में वैशाली को भी जोड़ती है। सूत्र ने बताया कि कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण समूची ब्लू लाइन पर सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित रही। इस बीच ब्लू लाइन के एक खंड पर पूर्वाह्न 11.30 बजे देरी की सूचना मिलने के बाद लोगों ने तस्वीरों के साथ ट्वीट करना शुरू किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया था। डीएमआरसी ने ट्विटर पर लिखा कि ब्लू लाइन संबंधी ताजा जानकारी : द्वारका सेक्टर 21 और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी/वैशाली के बीच सेवाएं प्रभावित। अन्य सभी लाइन पर सेवाएं सामान्य हैं। बाद में दोपहर 12. 50 बजे ट्वीट किया गया कि ब्लू लाइन पर सामान्य सेवा बहाल हो गई है।

उ.प्र. राज्य निर्माण सहकारी संघ लि.

जी–4/5बी, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।

नोटिस सं.-मु.अभि.सी.-208/ई.टे.प्र./टी–400(IX) दिनांक : 29.11.2022

ई–निविदा सूचना

उ.प्र. राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. द्वारा निम्नलिखित जनपदों में निर्माण कार्यो हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से आनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित बिड डाक्यूमेंट, नियम/शर्ते वेबसाइट http://etender.up.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है। निविदा से सम्बंधित सूचना विभागीय वेबसाइट www.uprnss.org पर भी देखी जा सकती है :-

क्र. सं.	निविदा नोटिस संख्या	जनपद का नाम	निविदा प्रकाशन करने की तिथि	कार्य का नाम	निविदा की लागत (रू.लाख में)
2.	07/E-TENDER/Meerut Zone /2022-23 DT. 25.11.2022	गाजियाबाद	30.11.2022	जनपद गाजियाबाद में 50 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय लोनी के अवशेष कार्य।	150.66

मुख्य अभियन्ता

उत्तर रेलवे

निविदा आमंत्रण सूचना

कार्य का नाम और इसकी स्थिति :–	**30-Elect-27-T-R2-22-23-E3** **नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एफओबी–2 अजमेरी गेट और पहाड़गंज की ओर तीन साल के लिए 04 ऑटोमीटर एस्केलेटर का व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी)**
निविदा की अनुमानित लागत :–	**रू0 41.97 लाख**
कार्यालय का पता :–	**वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/जी, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली**
बयाना राशि :–	**रू0 84000.00**
निविदा निवेदन की दिनांक व समय :–	**26.12.2022, 12.00 Hrs.**
निविदा खोलने की दिनांक व समय :–	**26.12.2022, 12.00 Hrs.**
वेबसाइट व नोटिस बोर्ड :–	**www.ireps.gov.in** वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियन्ता/जी, नई दिल्ली

3178/2022

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

AXIS BANK

Axis Bank Ltd

Registered Office:- "Trishul", 3rd Floor, opp Samartheshwar Temple, New Law Garden, Ellisbridge, Ahemdabad-380006.
Circle Office: Axis House Tower-3, Fourth Floor Sector 128 Noida-201301

NOTICE FOR BRANCH RELOCATION

Branch Name	Old address	New Address	Date of Relocation
Sector 12 Noida	Ground Floor Shop No 11,12 & 13, I Block Market, Sec 12 Noida, U.P. -201301	Ground Floor, N-6, Sec 11, Noida-201301	26th Dec-2022

परिशिष्ट IV A
नियम 8(6) का नियम देखे
अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) के नियमों को पढते हुए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई- निलामी बिक्री सूचना।

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गॅरेन्टर (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड(CIN:L65922DL2005PLC136029) (सुरक्षित लेनदार द्वारा)** द्वारा **रचनात्मक कब्जा** लिया जा चुका है, को **31.12.2022** को दोपहर **02.00** से **04.00** बजे तक **''जहां है'', ''जैसा है'' और ''जो कुछ भी है'',** की वसूली के लिए ऋण खाता नं. **HHLROH00381111** के लिए **रू.28,95,918/- (रुपए अठ्ठाईस लाख पंचानवे हजार नौ सौ अठारह मात्र)** के लिए **23.11.2022** तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागूभावी ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ **24.11.2022** से प्रभावी जो **वीरेंदर और सुनीता** पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाया है की वसूली के लिए बेचा जाएगा।

उक्त संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य रू.**1,48,00,000/- (रुपए एक करोड़ अड़तालीस लाख मात्र)** होगा और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट **(ईएमडी) रू.14,80,000/ - (रुपए चौदह लाख अस्सी हजार मात्र)** यानि आरक्षित मूल्य के **10%** के बराबर होगा।

अचल संपत्ति का वर्णन

प्लॉट नं.- 2116 पर मकान, सेक्टर -6, बहादुरगढ़, हरियाणा -124510।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तो के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानि www.indiabullshomeloans.com पर दिए गए लिंक को देखे और बोली लगाने के लिए www.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें।

दिनांक: **24.11.2022**
स्थान : **बहादुरगढ़ (हरियाणा)**

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

परिशिष्ट IV A
नियम 8(6) का नियम देखे
अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) के नियमों को पढते हुए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई- निलामी बिक्री सूचना।

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गॅरेन्टर (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड(CIN:L65922DL2005PLC136029) (सुरक्षित लेनदार द्वारा)** द्वारा **रचनात्मक कब्जा** लिया जा चुका है, को **31.12.2022** को दोपहर **02.00** से **04.00** बजे तक **''जहां है'', ''जैसा है'' और ''जो कुछ भी है'',** की वसूली के लिए ऋण खाता नं. **HHLNOI00256102** के लिए **रू.35,09,684/- (रुपए पैंतीस लाख नौ हजार छ सौ चौरासी मात्र)** के लिए **24.11.2022** तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागूभावी ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ **25.11.2022** से प्रभावी जो **योगेश शुक्ला और समता शुक्ला** पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाया है की वसूली के लिए बेचा जाएगा।

उक्त संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य रू.**32,00,000/- (रुपए बत्तीस लाख मात्र)** होगा और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट **(ईएमडी) रू.3,20,000/ - (रुपए तीन लाख बीस हजार मात्र)** यानि आरक्षित मूल्य के **10%** के बराबर होगा।

अचल संपत्ति का वर्णन

फ्री होल्ड आवासीय फ्लैट नं.- D-2, पहली मंजिल, रूफ राइट्स के बिना, सुपर एरिया मापित 1050 स्के.फीट, आवासीय प्लॉट नं. 3 पर बना, सर्वोदय अपार्टमेंट, राधे श्याम पार्क पर स्थित, गाँव पासोंदा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाज़ियाबाद -201005, उत्तर प्रदेश।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तो के लिए कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानि www.indiabullshomeloans.com पर दिए गए लिंक को देखे और बोली लगाने के लिए www.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें।

दिनांक:**24.11.2022**
स्थान : गाज़ियाबाद

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

तेजाब की बिक्री पर लगाम लगाने को कसी कमर

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को राजधानी में तेजाब की खुली बिक्री पर रोक लगाने में विफल रहने के संबंध में समन जारी किया था। आयोग ने इंगित किया था कि अधिकांश एसडीएम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे और निरीक्षण नहीं कर रहे थे और न ही एसिड की खुली बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ जुर्माना लगा रहे थे।

आयोग ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2017 के बाद से शाहदरा और उत्तरी जिले के एसडीएमों द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया। इसके अलावा, पूर्व, उत्तर, नई दिल्ली, उत्तर पूर्व और शाहदरा जिले जैसे कई एसडीएम ने 2017 से उनके जिलों में अनियमित एसिड बिक्री पर एक भी जुर्माना नहीं लगाया है। इसके अलावा, राजस्व विभाग द्वारा 2017 से एकत्र की गई 36.5 लाख रुपए की जुर्माना राशि का उपयोग एसिड अटैक पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए नहीं किया जा रहा था, जो कि अनिवार्य था।

स्वाति मालीवाल के सम्मन के जवाब में राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और राजधानी में एसिड की खुली बिक्री को रोकने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आयोग ने बताया कि अब यह निर्णय लिया गया कि अब से दिल्ली में एसिड की अवैध बिक्री की निगरानी के लिए मंडल आयुक्त द्वारा हर महीने के दूसरे सप्ताह में सभी एसडीएम, दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा, आयोग को सूचित किया गया था कि अब से सभी एसडीएम अगले महीने के पहले सप्ताह तक मंडल आयुक्त को छापे की तस्वीरों के साथ मासिक डेटा प्रस्तुत करेंगे। उन्हें मोहल्लों, बाजारों और आवासीय कॉलोनियों आदि में छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, सभी एसडीएम को इस मुद्दे पर पुलिस अधिकारियों, महिला पंचायत (दिल्ली महिला आयोग) और अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ जिला स्तर पर मासिक बैठक करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें आरडब्ल्यूए और एनजीओ से इनपुट लेने के लिए कहा गया है ताकि गलत काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

डीसीडब्ल्यू के समन के बाद राजस्व विभाग दिल्ली में बिक्री को लेकर गंभीर

अधिकांश एसडीएम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहे : डीसीडब्ल्यू

2017 के बाद से शाहदरा और उत्तरी जिले के एसडीएमों द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया

चालकों को रखने से पहले उनके रिकार्ड का सत्यापन करे उबर : दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कैब सेवा देने वाली कंपनी उबर से चालकों को सेवा पर रखने से पहले उनके पिछले रिकॉर्ड का सत्यापन करने को कहा और सुझाव दिया कि कंपनी को कैब में ऐसा तंत्र अपनाना चाहिए कि शराब के सेवन की जांच हो सके। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त महेश चंद्र भारद्वाज ने उबर के सुरक्षा उपायों को शुरू करने से जुड़े एक कार्यक्रम में कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना नियमों के उल्लंघन के मामले में एक प्रमुख कारक रहा है।

इस दौरान भारद्वाज ने बताया कि यदि कोई ड्राइवर नशे में है तो आपके पास यह जानने के लिए किसी प्रकार का तंत्र होना चाहिए कि आपका ड्राइवर नशे में है। हम शराब के नशे के लिए 'अल्कोहल मीटर' के माध्यम से चालकों की जांच करते हैं। क्या उबर स्टीयरिंग के करीब ऐसा कोई उपकरण लगा सकती है ताकि अगर ड्राइवर नशे में हो तो आपको सूचना मिल सके। नशे में वाहन चलाने वालों की जांच के लिए कृपया कोई तंत्र खोजें।

उन्होंने उबर से चालकों की सेवाएं लेने से पहले उनके पूर्व रिकॉर्ड के सत्यापन करने को भी कहा। भारद्वाज ने बताया कि उबर को अपने साझेदार चालक द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के बारे में अधिसूचित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, जिसे दिल्ली यातायात पुलिस के साथ साझा किया जा सकता है।

भारत एवं दक्षिण एशिया के लिए उबर के 'सेफ्टी ऑपरेशन्स' प्रमुख सूरज नायर ने कहा कि कंपनी ने फीडबैक नोट कर लिया है और सिस्टम में फीचर्स की व्यवहार्यता की जांच के लिए अध्ययन जारी रखेगी।

इस अवसर पर, उबर ने उपयोगकर्ताओं को अपनी यात्रा समाप्त करने के 30 मिनट बाद भी उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करने के लिए विस्तारित समर्थन की घोषणा की। भारत और दक्षिण एशिया के लिये उबर की निदेशक, (ग्राहक अनुभव), मानसी चड्ढा ने कहा कि विस्तारित समय की सुविधा सिर्फ भारत में शुरू की गई है।

उबर ड्राइवरों की यात्रा से पहले उनके शराब पीने की जांच हो

एक तंत्र होना चाहिए जिससे ड्राइवर के नशे में होने के बारे में जाना जा सके : एमसी भारद्वाज, अतिरिक्त आयुक्त, दिल्ली पुलिस

E-AUCTION SALE

EXPRESS INDUSTRY COUNCIL OF INDIA (Customs Custodian)
http://www.eiciindia.org
E-Auction cum E-Tender will be held for disposal of Courier Consignments (Section-48 goods) on as Is Where Is Basis.

E-AUCTION cum E-TENDER on: 15.12.2022

Period of Goods Inspection: 12.12.2022 & 13.12.2022
Timing- 10 AM to 05 PM

Auctioner – M/s MSTC LTD For registration visit- www.mstcecommerce.com

Address- EICI Express Terminal Gate No. 1, Old Haj Terminal, IGI Cargo Complex, New Delhi-110037

To, **Date: 29/11/2022**
Sh. Shiv Kumar S/o Nakli Ram
Emp. Code–(W731),
R/o House No. A-57,
Near Light Public School, Ashok Vihar-2, Gurgaon Haryana.
Native Address- Vill. Bhaila Khurd, PO: Khas,
Distt. Saharanpur, UP-247554
Mobile No. 9717376333

विषय – जाँच आदेश

आपको एक आरोप पत्र दिनांक 14.11.2022 दिया गया था एवं आप से इस बारें में स्पश्टीकरण मांगा गया। जिसके जवाब में आपका कोई स्पश्टीकरण आज तक नही प्राप्त हुआ है। प्रबन्धकों ने आपको एक और मौका देने की नीयत से इस मामलें में घरेलू जाँच कार्यवाही कराना उचित समझा है।
श्री ब्रजेश मिश्रा एडवोकेट चैम्बर न0 25, गेट न0 2, जिला न्यायालय गुड़गावं को इस हेतू जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी की सहमति से घरेलू जांच कार्यवाही की तिथि दिनांक 17 दिसम्बर 2022 समय 3 बजे स्थान चैम्बर नम्बर–25 गैट नम्बर–2 जिला न्यायालय गुरूग्राम, हरियाणा के लिए निश्चित की गई है। सम्पूर्ण जाँच कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के अनुसार की जायेगी एवं इसमें आपको अपना बचाव पक्ष रखने एवं प्रबन्धक गवाहों से जिरह करने का पूरा मौका दिया जायेगा।
आप उपरोक्त दिये गये समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर जाँच कार्यवाही मे भाग लें एवं अपना पक्ष रखें।

M/s. SKH Metals Ltd.
Plant Head GM Operation
Plot No. 2, Maruti JointVenture complex, Sector-18 Gurgaon Haryana 122015

सात्विक काउंसिल का गठन, शाकाहार भोज्य पदार्थों पर होगी लेबलिंग

नई दिल्ली (एसएनबी)। स्वास्थ्य विभाग ने अब सात्विक काउंसिल का गठन किया है। जैन डाक्टर फोरम की पहल पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्णय लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्व अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य निदेशक व जैन डाक्टर फोरम के अध्यक्ष डा. डीसी जैन ने के अनुसार सात्विक सर्सिटफाइड का मतलब है कि अब भारत में जिस भी जगह या जिस भी उत्पाद पर इसका लेबल लगा होगा, यह सुनिश्चित करेगा कि उस जगह पर शुद्ध सात्विक चीजें ही मिलेंगी। उस जगह मांसाहार का दूर दूर तक नाम नहीं होगा या उस उत्पाद में शुद्ध सात्विक चीजें ही मौजूद हैं।

प्रख्यात न्यूरोसर्जन डा. जैन ने बताया कि सबसे पहले सात्विक सर्टिफाइड का लेबल केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा देश की प्रसिद्ध ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी रूटों पर चलनें वाली ट्रेनों में सात्विक सर्टिफाइड शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी वंदे भारत ट्रेन में मांसाहार का कोई भी व्यंजन न तो दिया जाएगा और न ही ट्रेन में कोई बाहर से भी लाकर खा सकेगा।

सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा मंगलवार

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से तीन डिग्री कम है और इस सीजन का सबसे कम तापमान है। लेकिन इससे उलट यहां का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़कर 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

वहीं मुंगेशपुर इलाके का अधिकतम तापमास सबसे कम 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना जतायी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार बुधवार को यहां का तापमान 27 और 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा और सुबह के समय स्मॉग छाया रहेगा।

मंगलवार सुबह के समय कड़ाके की ठंड का अहसास हुआ, लेकिन दिन चढ़ने के साथ पारा ऊपर चढ़ा, जिससे दिन के वक्त ठंडक से थोड़ी राहत मिली। शाम ढलते ही फिर से ठंडक ने परेशान करना शुरू कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। इसकी वजह पहाड़ों पर जारी बर्फबारी की वजह से दिल्ली की फिजा बदली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 358 रहा, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक था।

न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा

आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना

पहाड़ों पर जारी बर्फबारी की वजह से दिल्ली की फिजा बदली